फाइल सं. 12015/03/2020-आईटी
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

दिनांक: 28 दिसंबर, 2021

दिनांक 24.09.2021 की अधिसूचना के पैरा 8 के संबंध में एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों के संवर्धन के लिए वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश।

1. प्रस्तावना

1.1. **उद्देश्य:** पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में एमएमएफ अपैरल एवं फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके; वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। यह योजना व्यवहार्य उद्यम और प्रतिस्पर्धी वस्त्र उद्योग का निर्माण करने में सहायता करने के लिए है।

1.2. वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को दिनांक 24.09.2021 की अधिसूचना संख्या 12015/03/2020-आईटी के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और दिनांक 27.09.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस योजना में भारत में निर्मित एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। अधिसूचित उत्पादों की सूची **परिशिष्ट-Iए, Iबी और Iसी** में दी गई है। यह योजना राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हुई है।

1.3. डीपीआईआईटी, नीति आयोग, वाणिज्यिक विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ विधिवत परामर्श करके योजना के इन दिशानिर्देशों को प्रभावी प्रचालन और सुचारू क्रियान्वयन के लिए उक्त अधिसूचना के पैरा 8 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

1.4. डीपीआईआईटी द्वारा दिनांक 10.06.2020 की राजपत्र अधिसूचना सं. पी 36017/144/2020-निवेश एवं संवर्धन के माध्यम से गठित और अधिसूचित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) योजना के

क्रियान्वयन को मॉनिटर करेंगे। वस्त्र के लिए पीएलआई की मॉनिटरिंग के लिए ईजीओएस की संरचना निम्नानुसार होगी;:

1. कैबिनेट सचिव, अध्यक्ष
2. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य
3. सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, सदस्य संयोजक
4. सचिव, वाणिज्य विभाग, सदस्य
5. सचिव, राजस्व विभाग, सदस्य
6. सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, सदस्य
7. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, सदस्य

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली ईजीओएस पीएलआई योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग करेगी; योजना के अंतर्गत व्यय की समय-समय पर समीक्षा करेगी; अन्य पीएलआई के साथ एकरूपता सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करने का समुचित प्रयास करेगी कि व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर हो। ईजीओएस, 10,683 करोड़ रुपए के समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर, योजना की रूपरेखा में कोई परिवर्तन करने और वास्तविक कठिनाई जो क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हो, से संबंधित किसी मुद्दे का निवारण करने के लिए भी अधिकृत है।

2. परिभाषा

2.1. **आवेदक:** इसका तात्पर्य योजना के तहत कोई कंपनी/फर्म/एलएलपी/भारत में निगमित और प्रचालन के लिए इच्छुक ट्रस्ट सहित कोई व्यक्ति है। इस योजना के अंतर्गत एक बार चयनित आवेदक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई/पृथक कंपनी गठित करना अपेक्षित होगा और नई कंपनी को **प्रतिभागी** के रूप में जाना जाएगा।

2.2. **आवेदन:** इसका तात्पर्य निर्धारित प्रपत्र में इस प्रयोजनार्थ विकसित किए गए मंत्रालय के पीएलआई पोर्टल पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन है।

2.3. **आवेदन का अनुमोदन:** इसका तात्पर्य इस योजना के तहत पात्र कंपनी का चयन करने हेतु वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा अनुमोदन।

2.4. **लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र:** इसका तात्पर्य घोषित किए गए कारोबार, निर्मित उत्पादों, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए रिफंड और प्राप्त किए गए इनपुट कर क्रेडिट की सटीकता का सत्यापन करना और सभी अपेक्षित

अनुपालनों का मूल्यांकन के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

2.5. **खपत और माल सूची रजिस्टर:** इसका तात्पर्य प्रतिभागी द्वारा माल सूची और इनपुट तथा आउटपुट की खपत के रिकॉर्ड का रखरखाव करने के लिए रजिस्टर है**;**

2.6. **पूंजीगत सामान:** इसका तात्पर्य वे सामान हैं जिनकी कीमत प्रतिभागी की लेखा पुस्तिका में पूंजीकृत की गई है और जिनका उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है अथवा किए जाने का इरादा है;

2.7. **चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए):** इसका तात्पर्य चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम**, 1949** की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित सीए है;

2.8. **कॉस्ट एकाउंटेंट:** इसका तात्पर्य कॉस्ट और वर्क एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित कॉस्ट एकाउंटेंट है;

2.9. **कंपनी सचिव:** इसका तात्पर्य कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव है;

2.10. **वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख:** इसका तात्पर्य वह तारीख है जिस तारीख को प्रतिभागी इस योजना के अंतर्गत प्रतिभागी द्वारा निर्मित अधिसूचित उत्पादों की बिक्री के लिए पहली जीएसटी बीजक तैयार करता है।

2.11. **वित्तीय वर्ष:** इसका तात्पर्य वह वर्ष है जो किसी कलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल को शुरू होता है और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.12. **गेस्टेशन अवधि:** इसका तात्पर्य आवेदन में यथाघोषित न्यूनतम निर्धारित निवेश को निवेश करके अधिसूचित उत्पादों के निर्माण और उत्पादन की शुरूआत करने के लिए कंपनी की स्थापना करने हेतु प्रतिभागी कंपनी को अनुमति प्रदान की गई अवधि है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2023-24 भाग-1 और भाग-2 की गेस्टेशन अवधि होगी।

2.13. **ग्रुप कंपनी:** कंपनी अधिनियम**, 2013** में यथापरिभाषित।

2.14. **प्रोत्साहन:** इसका तात्पर्य अधिसूचित दरों के अनुसार इस योजना के तहत प्रतिभागियों को प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन है।

2.15. **इनपुट:** इसका तात्पर्य परिणामी अधिसूचित उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अथवा उपयोग किए जाने के आशय वाले पूंजीगत सामानों के अलावा अन्य सामान हैं;

2.16. **निवेश:** इसका तात्पर्य अधिसूचित उत्पादों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना करने के लिए प्रतिभागी द्वारा किए जाने वाले भवन और प्रशासनिक निर्माण लागत को छोड़कर संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्य में कुल निवेश की राशि है।

2.17. **अनुमोदन का पत्र:** इसका तात्पर्य इस योजना के तहत निवेश को प्राधिकृत करने और उत्पादन की शुरूआत करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पत्र है।

2.18. **विनिर्माण:** केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, **2017** के अनुसार निर्माण से तात्पर्य कच्ची सामग्री अथवा इनपुट को इस तरीके से प्रोसेस करना होगा जिससे विशिष्ट नाम, अक्षर और उपयोग वाले नए उत्पाद की उत्पत्ति होगी और तदनुसार 'विनिर्माता' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ट्रेडिंग/जॉब-वर्किंग विनिर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी।

2.19. **अधिसूचित उत्पाद:** 8 अंकों वाले मानव निर्मित फाइबर **(**एमएमएफ) अपैरल और एमएमएफ फैब्रिक्स की विशिष्ट एचएस लाइनों और तकनीकी वस्त्र के उत्पादों का उल्लेख **परिशिष्ट-Iए, Iबी** और **Iसी** में दिया गया है जो इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

2.20. **व्यक्ति:** प्राकृतिक और वैधानिक दोनों और इसमें व्यक्तिगत, फर्म, एलएलपी, सोसायटी, कंपनी, निगम अथवा कोई अन्य वैधानिक व्यक्ति शामिल है;

2.21. **निष्पादन वर्ष:** इसका तात्पर्य वह वर्ष है जिसमें न्यूनतम/आरंभिक कारोबार/ वृद्धिशील कारोबार प्राप्त कर लिया गया है। प्रथम निष्पादन वर्ष, वित्तीय वर्ष 2024-2025; दूसरा 2025-2026; तीसरा 2026-2027, चौथा 2027-2028; एवं पांचवा 2028-2029 है।

2.22. **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए):** इसका तात्पर्य योजना के क्रियान्वयन में सहायता/सहयोग के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक एजेंसी है।

2.23 **संबंधित पार्टी(यां):** इसका तात्पर्य जीएसटी अधिनियम की धारा 2(84) के तहत यथापरिभाषित है।

2.24 **न्यूनतम निवेश:** इसका तात्पर्य योजना के अनुसार न्यूनतम निर्धारित निवेश है।

2.25 **न्यूनतम कारोबार:** इसका तात्पर्य प्रथम निष्पादन वर्ष के लिए न्यूनतम निर्धारित कारोबार है।

2.26 **न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार:** इसका तात्पर्य अनुवर्ती वर्ष में दूसरे निष्पादन वर्ष से आगे तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारित 25% वृद्धिशील कारोबार है।

2.27 **मूल्य-वर्धन फॉर्मूला:**

$$VA = \frac{A-B}{B} \times 100$$

A= जीएसटी को छोड़कर जीएसटी बीजक में घोषित उत्पाद बिक्री मूल्य

B= शुल्क/कर/उपकर को छोड़कर इनपुट/कच्ची सामग्री का खरीद मूल्य

2.28 **कच्ची सामग्री:** इसका तात्पर्य अधिसूचित तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए अपेक्षित/प्रयुक्त इनपुट है। ये इनपुट या तो कच्ची/प्राकृतिक/अपरिष्कृत/ अनिर्मित अथवा निर्मित स्थिति में हो सकती है;

2.29 **हस्ताक्षरकर्ता:** इसका तात्पर्य आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति है।

2.30 **न्यूनतम मूल्यवर्धन:** इस योजना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मूल्यवर्धन का तात्पर्य एकीकृत अथवा फाइबर/यार्न से फैब्रिक अथवा फैब्रिक से परिधान और तकनीकी वस्त्र के लिए भारत में 60% मूल्यवर्धन है। तथापि, स्वतंत्र फैब्रिक्स प्रसंस्करण उद्योग (रंगाई और छपाई आदि) के लिए अपेक्षित न्यूनतम मूल्यवर्धन 30% है।

2.31 **कारोबार:** इसका तात्पर्य कर सहित सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किसी कंपनी का बिक्री कारोबार है। अधिसूचित उत्पादों की बिक्री से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से जीएसटी बीजकों के तहत निपटाए गए उत्पादों के मूल्य को इस योजना के प्रयोजनार्थ परिगणित किया जाएगा। लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित कारोबार का मिलान लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के लिए 12 माह की समाप्ति से पहले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ किया जाता है।

3. योजना की अवधि:

3.1 यह योजना 24.09.2021 (अधिसूचना की तारीख) से 31 मार्च, 2030 तक प्रचालनशील है और इस योजना के तहत प्रोत्साहन का भुगतान केवल 5 वर्ष तक किया जाएगा।

तालिका1: योजना भाग-1 एवं भाग-2

वर्ष	**गेस्टेशन अवधि**	**निष्पादन वर्ष**	**प्रोत्साहन दावा वर्ष**
*	वित्तीय वर्ष 2022-2023		

*	वित्तीय वर्ष 2023-2024	वैकल्पिक*	वैकल्पिक *
1		वित्तीय वर्ष 2024-2025	वित्तीय वर्ष 2025-2026
2		वित्तीय वर्ष 2025-2026	वित्तीय वर्ष 2026-2027
3		वित्तीय वर्ष 2026-2027	वित्तीय वर्ष 2027-2028
4		वित्तीय वर्ष 2027-2028	वित्तीय वर्ष 2028-2029
5		वित्तीय वर्ष 2028-2029	वित्तीय वर्ष 2029-2030

3.2 वित्त वर्ष 2023-24 तक न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार प्राप्त कर लेने पर तीव्र गति से निवेश किए जाने के मामले में प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही प्रदान किया जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों में योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2027-28 अर्थात् केवल 5 वर्ष तक ही उपलबध होंगे।

4 योजना का विवरण

4.1 **योजना भाग-1:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पृथक विनिर्माण कंपनी का निर्माण करने और अधिसूचित उत्पादों का निर्माण करने के लिए न्यूनतम 300 करोड़ रुपए (भूमि और प्रशासनिक भवन की लागत को छोड़कर) का निवेश करने के लिए इच्छुक कंपनी/फर्म/एलएलपी/ट्रस्ट सहित कोई व्यक्ति। ऐसी कंपनी प्रथम निष्पादन वर्ष तक विनिर्माण द्वारा और अधिसूचित उत्पादों की बिक्री करके न्यूनतम 600 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

4.2 **योजना भाग-2:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पृथक विनिर्माण कंपनी का निर्माण करने और अधिसूचित उत्पादों का निर्माण करने के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए (भूमि और प्रशासनिक भवन की लागत को छोड़कर) का निवेश करने के लिए इच्छुक कंपनी/फर्म/एलएलपी/ट्रस्ट सहित कोई व्यक्ति। ऐसी कंपनी प्रथम निष्पादन वर्ष तक विनिर्माण द्वारा और अधिसूचित उत्पादों की बिक्री करके न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

4.3 प्रतिभागी न्यूनतम निवेश और न्यूनतम/वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4.4 प्रथम निष्पादन वर्ष में संबंधित योजना के तहत पैरा 4.1/ 4.2 में उल्लिखित न्यूनतम कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन की गणना की जाएगी। यदि

निर्धारित शर्तों को समय पर पूरा नहीं किया जाएगा तो प्रोत्साहन कम वर्षों के लिए और शर्तों को पूरा करने के वर्ष से उपलब्ध होगा। किंतु लागू प्रोत्साहन की दर योजना के प्रथम वर्ष के लिए यथानिर्धारित होगी और इसी प्रकार शेष अवधि के लिए होगी।

4.5 वस्त्र उत्पादों के निर्माण और बिक्री को अनुमत क्रियाविधि के रूप में माना जाएगा। तथापि, इस योजना के तहत गणना और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए केवल अधिसूचित उत्पादों के कारोबार/बिक्री पर ही विचार किया जाएगा। अधिसूचित और गैर-अधिसूचित दोनों उत्पादों के लेखा का रखरखाव अलग से किया जाएगा।

5. वृद्धिशील कारोबार और प्रोत्साहन की दर:

5.1 इस योजना के तहत प्रोत्साहन न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार की शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा।

5.2 विशिष्ट निष्पादन वर्ष के लिए प्रोत्साहनों की दर का उल्लेख तालिका-2 में किया गया है।

5.3 किसी विशिष्ट वर्ष में उस वर्ष का प्रोत्साहन, नीचे तालिका 2 में यथाउल्लिखित कारोबार हासिल करने और पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार की तुलना में 25% अतिरिक्त वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 35% अनुमेय वृद्धिशील कारोबार की सीमा के अध्यधीन है।

5.4 यदि प्रतिभागी कंपनी निर्धारित कारोबार को प्राप्त करने अथवा पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार की तुलना में कारोबार में 25% की वृद्धि करने में असफल होती है तो उन्हें इस योजना के तहत उस वर्ष का कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा।

5.5 ऐसे प्रतिभागियों को तभी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जब वे उस वर्ष के लिए निर्धारित कारोबार के लक्ष्य और घटाए गए वर्षों के लिए बाद के वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार की तुलना में कारोबार में 25% की वृद्धि, दोनों को प्राप्त करेंगे।

तालिका 2: निर्धारित कारोबार और प्रोत्साहन की दर

वर्ष	**गेस्टेशन अवधि**	**निष्पादन वर्ष**	**प्रोत्साहन दावा वर्ष**	**योजना भाग 1**		**योजना भाग 2**	
*	वित्तीय			न्यूनतम	प्रोत्साहन	न्यूनतम	प्रोत्साहन

	वर्ष 2022-2023			निर्धारित कारोबार	की दर	निर्धारित कारोबार	की दर
*	वित्तीय वर्ष 2023-2024	वैकल्पिक *	वैकल्पिक*				
1	वर्ष 1	वित्तीय वर्ष 2024-2025	वित्तीय वर्ष 2025-2026	600 करोड़	15%	200 करोड़	11%
2	वर्ष 2	वित्तीय वर्ष 2025-2026	वित्तीय वर्ष 2026-2027	750 करोड़	14%	250 करोड़	10%
3	वर्ष 3	वित्तीय वर्ष 2026-2027	वित्तीय वर्ष 2027-2028	937.5 करोड़	13%	312.5 करोड़	9%
4	वर्ष 4	वित्तीय वर्ष 2027-2028	वित्तीय वर्ष 2028-2029	1171.87 करोड़	12%	390.63 करोड़	8%
5	वर्ष 5	वित्तीय वर्ष 2028-2029	वित्तीय वर्ष 2029-2030	1464.84 करोड़	11%	488.2 करोड़	7%

5.6 व्याख्यात्मक किंतु पूर्ण नहीं, समझने और क्रियान्वयन में आसानी के लिए उदाहरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

6 प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा:

6.1 दूसरे वर्ष से आगे प्रोत्साहन की गणना करने के उद्देश्य से निर्धारित न्यूनतम कारोबार में 25% की वृद्धि के अतिरिक्त 10% की सीमा का प्रावधान होगा। उस सीमा के पश्चात् प्राप्त कारोबार की गणना प्रोत्साहन के लिए नहीं की जाएगी। तथापि, प्रथम वर्ष के लिए 10% की सीमा, 2024-25 तक इस योजना के तहत किए गए निवेश के दोगुना से अधिक के कारोबार पर लागू होगी। निवेश का दोगुना +10% से अधिक प्राप्त कारोबार की गणना प्रथम वर्ष के प्रोत्साहन के लिए नहीं की जाएगी। यह योजना भाग 1 एवं 2 दोनों के लिए लागू होगी।

6.2 सांकेतिक व्याख्या परिशिष्ट **III** में दी गई है:

7. सामान्य शर्तें

7.1 इस योजना के तहत चयनित आवेदक निवेश शुरू करने से पहले कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई कंपनी बनाएगा। यह नई कंपनी उक्त योजना के तहत 'प्रतिभागी' कहलाएगी।

7.2 योजना की अधिसूचना की तारीख से संभावित निवेश की गणना भी न्यूनतम निवेश के लिए की जाएगी बशर्ते उनके प्रस्ताव को इस योजना के तहत भागीदारी के लिए अनुमोदित किया गया हो। यदि गेस्टेशन अवधि में अपेक्षित निवेश पूरा नहीं किया गया है तो शेष प्रतिबद्ध निवेश प्रथम निष्पादन वर्ष के दौरान किया जा सकता है, बशर्ते की उसी वर्ष अपेक्षित कारोबार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हो।

7.3 विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने और वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्चतर निवेश करने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

7.4 यदि एक ही समूह द्वारा बहुत से आवेदन किए जाते हैं तो कंपनी को चयन के समय अग्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव के लिए अपनी वरीयता इंगित करनी होगी। कंपनियों के किसी समूह के लिए पीएलआई के तहत केवल एक परियोजना अनुमोदित की जाएगी।

7.5 आवेदक के पास पेन/जीएसटी/डीआईएन होना चाहिए।

7.6 प्रतिभागी कंपनी को अपने पंजीकृत कारखाना परिसर में, इस योजना के तहत यथाअपेक्षित न्यूनतम मूल्यवर्धन करना होगा।

7.7 आवेदक को नई प्रतिभागी कंपनी में विनिर्माण करने के लिए यथा लागू अधिसूचित आईटीसी एचएस लाइनों/तकनीकी वस्त्र उत्पादों को घोषित करना होगा। एक बार चयनित लाइनों/उत्पादों का पालन इस योजना की अवधि तक करना चाहिए। कोई परिवर्तन होने पर वस्त्र मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

7.8 ट्रेडिंग और जॉब वर्क से प्राप्त कारोबार की गणना, इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए नहीं की जाएगी।

7.9 इस योजना के तहत पंजीकृत कंपनी द्वारा निर्मित अधिसूचित वस्तु/उत्पाद प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। दूसरे शब्दों में, समान समूह के वस्तुओं/उत्पादों का निर्माण करने पर भी पंजीकृत वस्तुओं/उत्पादों के अलावा, किसी कंपनी द्वारा निर्मित वस्तुओं/उत्पादों की गणना वृद्धिशील कारोबार के लिए नहीं की जाएगी।

7.10 8 डिजीट वाले एचएस कोड को इंगित करने वाले जीएसटी बीजक के तहत बेचे गए अधिसूचित उत्पाद ही न्यूनतम/वृद्धिशील कारोबार की गणना के लिए हिसाब में लिए जायेंगे।

7.11 प्रतिभागी, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित अन्य लागू योजनाओं, उदाहरण के लिए ड्यूटी छूट, ड्यूटी रियायत, ड्यूटी ड्रॉ बैक के आदि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

7.12 प्रतिभागी की कंपनी में विदेशी (प्रवासी) निवेश समय-समय पर यथासंशोधित, समेकित एफडीआई नीति, 2020 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में किए जायेंगे।

7.13 प्रतिभागी को निर्धारित बीआईएस मापदंडों अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप उचित गुणवत्ता और परीक्षण सुविधाओं के साथ अधिसूचित उत्पादों का निर्माण करने के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए वचन देना चाहिए।

7.14 कारखाना के बाहर अधिसूचित उत्पादों को प्रेषित करते समय प्रतिभागी प्रत्येक उत्पाद पर 'भारत में निर्मित' टैग लगाना सुनिश्चित करेगा।

7.15 आवेदक और इसके समूह की कंपनी(यों) को न तो किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा दिवालिया अथवा चूककर्ता घोषित किया गया हो अथवा कोई धोखाधड़ी की सूचना दी गई हो न ही किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विभाग/एजेंसियों द्वारा काली सूची/अस्वीकृत कंपनी की सूची में डाला होना चाहिए।

7.16 कंपनियों के लेखाओं के दावों के नमूने की जांच और लागत लेखापरीक्षा (यदि अपेक्षित हो) लागत लेखापरीक्षक के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा की जाएगी। उनके विनिर्माण स्थल/कार्यालयों के लेखा परीक्षा की अनुमति कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

7.17 प्रतिभागी अधिसूचित उत्पादों का निर्माण करने के लिए इनपुट और कच्ची सामग्रियों के उपयोग के लिए खपत और मालसूची का रजिस्टर रखेगा। प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त किए गए प्रोत्साहन के पश्चात् 5 वर्षों तक अथवा मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा पूर्ण कर लिए जाने तक, जो भी बाद में हो, अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

7.18 प्रतिभागी समान उत्पादों के विद्यमान बाजार मूल्य के आधार पर जीएसटी बीजक में उत्पाद के समुचित मूल्य को निर्दिष्ट करेंगे। योजना का अनुचित लाभ उठाने के लिए उत्पादों के बीजक में बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा और समुचित दंड लगाया जाएगा।

7.19 प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते समय प्रतिभागी विधिवत पुष्ट की गई और नॉटरी किया गया वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तुत किया गया विवरण और दस्तावेज सही और वास्तविक हैं।

8 चयन का मापदंड:

8.1 वस्त्र मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिभागियों का चयन करने के लिए उद्योग से आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदनों की जांच करने के पश्चात् वस्त्र मंत्रालय सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर चयनित कंपनियों की सूची प्रकाशित करेगा।

8.2 चयन के लिए आवेदन की जांच करते समय चयन समिति द्वारा निम्नलिखित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाएगा:

तालिका-3

क्र.सं.	**मापदंड**	**ग्रेडिंग**	**वरियता के लिए अंक**
1.	आवेदक की वित्तीय क्षमता	तुलन-पत्र में कारोबार और रिजर्व एवं अधिशेष के आधार पर (50:50%)	0 से 10
2.	आवेदक का प्रासंगिक अनुभव एवं तकनीकी क्षमता	एमएमएफ, तकनीकी वस्त्र, वीविंग/प्रसंस्करण/गारमेंटिंग आदि में अनुभव और सामान्य तकनीकी क्षमता के आधार (50:50%)	0 से 10
3.	विनिर्माण क्रियाकलाप का स्थान (#)	आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित वांछित जिलों और श्रेणी 'ग' वाले शहरों में निवेश को अधिमानता (*)	0 से 15
		श्रेणी क	05
		श्रेणी ख	10

		श्रेणी ग एवं वांछित जिले		15
4.	निवेश	भाग-1	भाग-2	
		300-400	100-200	10
		401 एवं इससे अधिक	201 एवं इससे अधिक	20
5.	प्रथम निष्पादन वर्ष से आगे अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार	500 – 2500		5
		2501-5000		10
		5001-7500		15
		7501 – 10000		20
		10000 से अधिक		25
6.	उत्पाद लाइन	केवल एकल क्षेत्र निवेश (जैसे केवल एमएमएफ अपैरल अथवा एमएमएफ फैब्रिक अथवा केवल तकनीकी वस्त्र)		10
		एकीकृत वीविंग एवं प्रसंस्करण अथवा फैब्रिक से परिधान में निवेश		20
	कुल अधिकतम			100

श्रेणी क से श्रेणी ख तक अथवा श्रेणी ग तक स्थान में परिवर्तन की अनुमति होगी श्रेणी ख के आवेदक को श्रेणी ग में ही परिवर्तन की अनुमति होगी न कि विलोमत। तथापि, यदि कोई प्रस्तावित इकाई आगामी पीएम-मित्र पार्क में अपने निवेश के स्थान को बदलना चाहती है तो उसे इस योजना के तहत समयावधि में किसी परिवर्तन के बिना अनुमति होगी। प्रतिभागी को स्थान में परिवर्तन से पहले वस्त्र मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है।

* शहरों की श्रेणी निम्नानुसार है:

समूह ‘क’ वाले शहर	**समूह ‘ख’ वाले शहर**	**समूह ‘ग’ वाले शहर**
1. ग्रेटर मुंबई	1. अहमदाबाद	ग्रुप क और ख शहरों को

2. दिल्ली एनसीआर 3. कोलकाता 4. चेन्नई 5. बेंगलूरू 6. हैदराबाद 7. पुणे	2. भुवनेश्वर 3. चंडीगढ़ 4. कोयंबटूर 5. इंदौर 6. जयपुर 7. कोच्चि 8. लखनऊ 9. मदुरै 10. मैंगलोर 11. नागपुर 12.तिरुवनंतपुरम 13. तिरुचिरापल्ली 14. वडोदरा 15. विशाखापत्तनम	छोड़कर भारत के अन्य सभी शहर

8.3 पैरा 7.1 में यथाउिल्लखित नई कंपनी बनाने के पश्चात् ही प्रतिभागी को "अनुमोदन पत्र" जारी किया जाएगा और यह हस्तांतरणीय नहीं है।

9. चयन समिति:

चयन समिति के पास योजना के अंतर्गत प्रतिभागी बनने के लिए पात्र आवेदकों का चयन करने का अधिकार होगा। चयन समिति के पास प्रोत्साहन के लिए स्वीकार्य कारोबार और पात्रता या योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होगा।

चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

1. सचिव वस्त्र-अध्यक्ष
2. अपर सचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य
3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार-सदस्य
4. नीति आयोग के प्रतिनिधि - सदस्य
5. संयुक्त सचिव स्तर के डीपीआईआईटी के प्रतिनिधि - सदस्य
6. व्यापार सलाहकार-सदस्य सचिव
7. आर्थिक सलाहकार-सदस्य

10. निवेश की शर्त

10.1 **संयंत्र, मशीनरी और उपकरण:** इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में निवेश नए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं तथा टूल, डाई, मोल्ड्स, जिग्स, फिक्स्चर (पार्टस, एक्सेसरीज़, घटकों, और उनके स्पेयर) का निवेश शमिल होगा, जो किसी भी निर्मित अधिसूचित उत्पादों की डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग या प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। इसमें पैकेजिंग, फ्रेट/परिवहन, बीमा, और संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं के निर्माण और कमीशनिंग पर व्यय भी शामिल होगा। संबंधित उपयोगिताओं में कैप्टिव पावर और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जल और विद्युत आपूर्ति और नियंत्रण प्रणाली जैसी संचालन क्षेत्रों में आवश्यक अपेक्षित उपकरण शामिल किया जाएगा। संबंधित उपयोगिताओं में सर्वर, सॉफ्टवेयर और ईआरपी साल्यूशन सहित विनिर्माण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) अवसंरचना भी शामिल की जाएगी। ऐसे निवेश का उपयोग योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

10.2 संयंत्र, मशीनरी और उपकरण भागीदार के नाम पर खरीदे या लीज पर होने चाहिए। ऐसे मामले जहां ये लीज पर दिये जा रहे हैं, लीज लेखा मानक 19 - लीज या भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) -116 लीज के अर्थ के नाम से वित्तीय लीज की प्रकृति में होना चाहिए, जैसा कि प्रतिभागी पर लागू हो, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

10.3 संयंत्र, मशीनरी और उपकरण को लागू करों और शुल्कों के भुगतान के बाद कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों के माध्यम से खरीदी या लीज पर ली जानी चाहिए।

10.4 योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना के संयंत्र, मशीनरी और उपकरण का उपयोग अधिसूचित उत्पाद के विनिर्माण के लिए नियमित रूप से किया जाएगा जिसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी "अनुमोदन पत्र" में अनुमोदित किया गया है। यह अन्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए ऐसी मशीनरी के उपयोग को नहीं रोकता है।

10.5 **भवन और सिविल निर्माण:** कारखाना भवन (प्रशासनिक और आवासीय भवन को छोड़कर), कारखाने के अंदर संपर्क मार्ग आदि के निर्माण में किए गए निवेश को न्यूनतम निवेश की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

10.6 भागीदार कंपनी इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित उत्पादों के उत्पादन के लिए एक से अधिक विनिर्माण इकाई स्थापित कर सकती है। उन्हें आवेदन में प्रयोजन घोषित करना होगा।

10.7 **अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशाला में निवेश:** अधिसूचित उत्पादों के विकास और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशाला में कुल परियोजना लागत का 10% तक निवेश की अनुमति दी जाएगी और न्यूनतम निवेश के लिए जिम्मेदार होगा। आर एंड डी से जुड़े सॉफ्टवेयर को लागू करों और शुल्कों के भुगतान के बाद कानूनी रूप से वैध दस्तावेज के माध्यम से खरीदा या लाइसेंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

11. संबंधित उपयोगिताएं

11.1 मौजूदा संबंधित उपयोगिताओं के उपयोग की अनुमति है। तथापि, ऐसी मौजूदा उपयोगिताओं में पहले से किए गए निवेश की गणना न्यूनतम निवेश योजना के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

11.2 अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण के अनुरूप संबंधित उपयोगिताओं में नए निवेश को योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करने के लिए निवेश के अनुसार माना जाएगा।

12. अपात्र निवेश:

योजना के अंतर्गत भूमि और प्रशासनिक भवन में निवेश अर्थात् कार्यालय और अतिथि गृह भवन शामिल नहीं होंगे।

13. चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन हेतु समय अनुसूचीः

13.1 योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन विंडो 1 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 (समावेशी) की अवधि के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर खोली जाएगी। आवेदन विंडो बंद होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, पात्र आवेदनों की अपर्याप्त संख्या के मामले में, नए आवेदकों के चयन के लिए आवेदन विंडो फिर से खोली जाएगी।

13.2 आवेदक, अपने आवेदन में, योजना की अवधि दौरान अपनी वार्षिक निवेश योजना, अपेक्षित बिक्री कारोबार और अपेक्षित रोजगार सृजन और निर्यात के बारे में पीएमए/एमओटी को घोषित और सूचित करेगा।

13.3 आवेदन ऑनलाइन पोर्टल http://PLI.texmin.gov.in के माध्यम से और इसमें दिए गए प्रारूप में किया जाएगा। आवेदक को यथाउल्लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13.4 50000/- रुपए का अप्रतिदेय आवेदन प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

13.5 आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, एक विशिष्ट आवेदन आईडी संख्या के साथ पावती आवेदक को ईमेल के साथ-साथ एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। इस पावती को योजना के अंतर्गत अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि दस्तावेज अधूरे या कम पाए जाते हैं, तो वस्त्र मंत्रालय/पीएमए ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र जारी करेगा और आवेदक को इस तरह के प्रश्नों की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर आवश्यक जानकारी/दस्तावेज जमा करना होगा। यदि आवेदक समय पर ऐसी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने में असफल रहता है, तो आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा।

आवेदन प्राप्त करने की अनुसूची सारणी-4

पीएलआई आवेदन विंडो की शुरुआत	आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख	प्रश्न उठाने की अंतिम तारीख	अनुपालन हेतु तारीख
01.01.2022	31.01.2022	आवेदन जमा करने की तारीख से 10 दिन	ईमेल के माध्यम से प्रश्न प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन

14. योजना के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया

14.1 योजना के दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

14.2 इस उद्देश्य के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा मानदंड और बजटीय सीमाओं के आधार पर अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

14.3 आवेदन विंडो बंद होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदकों के चयन का अंतिम रूप दिया जाएगा।

14.4 अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वस्त्र मंत्रालय चयनित आवेदकों की अंतिम सूची तैयार करने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर चयनित और प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को आवश्यक विवरण के साथ पत्र जारी करेगा।

14.5 **परिशिष्ट-II** के अनुसार केवल चयनित प्रतिभागियों को "अनुमोदन पत्र" जारी किया जाएगा और अन्य पात्र आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।

14.6 यदि किसी भी स्तर पर कोई चयनित आवेदक अपात्र पाया जाता है, या यदि उसने योजना की आवेदन प्रक्रिया के दौरान अधिसूचनाओं, आदेशों, दिशानिर्देशों या अपनी स्वयं की प्रतिबद्धताओं के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, या किसी भी स्तर पर योजना के तहत प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, किसी भी कारण से, ऐसे चयनित आवेदक के परिकल्पित प्रोत्साहन दावा को वापस ले लिया जाएगा और आवेदक को जारी किया गया अनुमोदन निरस्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में, प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों के लिए प्रस्ताव को बढ़ाया जा सकता है।

15 आवेदन शुल्क:

15.1 योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदक को 50,000/- (पचास हजार रुपये) भुगतान करना होगा।

15.2 आवेदन शुल्क का एक बार भुगतान होने के बाद वापस नहीं किया जाएगा।

15.3 वस्त्र मंत्रालय के शीर्ष खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ट/ यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जाएगा। शुल्क भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण पीएलआई पोर्टल http://PLI.texmin.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

16 प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड और शर्तें:

16.1 न्यूनतम निवेश और न्यूनतम/वृद्धिशील कारोबार के मानदंडों को पूरा करने वाले चयनित प्रतिभागी प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होंगे। प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए आवेदन प्रपत्र पोर्टल http://PLI.texmin.gov.in में दिया गया है। प्रतिभागी को सभी निर्धारित जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी।

16.2 किसी दिए गए वर्ष के लिए यदि कोई प्रतिभागी न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने में असफल रहता है, तो वह प्रतिभागी उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, प्रतिभागी को बाद के वर्षों के लिए निष्पादन वर्ष-5 तक और वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए प्रोत्साहन का दावा करने

से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि निर्धारित और वृद्धिशील कारोबार लक्ष्य बाद के वित्तीय वर्षों में प्राप्त किए गए हों।

16.3 अधिसूचित उत्पादों का वृद्धिशील कारोबार योजना के तहत निर्मित उत्पादन क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।

17 प्रोत्साहन की गणना के लिए मानदंड

17.1 प्रोत्साहन की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

निष्पादन वर्ष के लिए प्रतिशत में प्रोत्साहन की दर × करों को छोड़कर अधिसूचित उत्पाद की सीमा के भीतर कुल वृद्धिशील बिक्री

जहां,

(i) अधिसूचित उत्पाद (दो) को इस योजना में परिभाषित किया जाएगा और चयनित प्रतिभागी को जारी "अनुमोदन पत्र" में इसका उल्लेख किया जाएगा।

(ii) कुल वृद्धिशील बिक्री, प्रतिभागी कंपनी द्वारा विनिर्मित अधिसूचित उत्पाद में प्रतिभागी का कारोबार होगा जिसमें से योजना अवधि के दौरान तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में प्रतिभागी के अधिसूचित उत्पादों के लिए कारोबार घटा दिया जाएगा।

(iii) आवेदक द्वारा समूह कंपनियों को अधिसूचित उत्पाद (उत्पादों) की कैप्टिव खपत या अधिसूचित उत्पाद (उत्पादों) की बिक्री के मामले में, अधिसूचित उत्पाद (उत्पादों) के सकल कारोबार की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(क) बिक्री के लिए जीएसटी नियमों के अनुसार अधिसूचित उत्पादों को केवल वृद्धिशील कारोबार के लिए विचार किया जाएगा। प्रतिभागी द्वारा विनिर्मित अपस्ट्रीम उत्पादों की कैप्टिव खपत के मामले में कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

(ख) यदि कोई प्रतिभागी समूह कंपनी और गैर-समूह कंपनी को अधिसूचित उत्पाद बेच रहा है, तो समूह या गैर-समूह कंपनी को बिक्री मूल्य प्रस्तुत किया जाएगा जो भी कम हो संबंधित पक्ष, के बीच लेनदेन का कुल मूल्य निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

(iv) निष्पादन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सृजित बीजक को उस वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन की गणना के लिए माना जाएगा

(v) सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बिक्री की आय की वसूली का दायित्व प्रतिभागी के पास होगा। वस्त्र मंत्रालय के पास बिक्री आय की वसूली के साक्ष्य के दस्तावेजों को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे प्रतिभागी के कारोबार और प्रोत्साहन की गणना के लिए माना जाएगा और बिक्री आय की वसूली में किसी भी चूक के मामले में उपयुक्त वसूली और दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

18. प्रोत्साहन संवितरण की प्रक्रिया और समय अनुसूची

18.1 निष्पादन वर्ष के तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक आवेदक द्वारा प्रोत्साहन का दावा करने के लिए सभी तरह से पूर्ण एक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित खाते के विवरण के साथ अपना दावा प्रतिभागी दाखिल करेगा। उदाहरण के लिए: निष्पादन वर्ष 2024-2025 के लिए प्रोत्साहन का दावे के लिए आवेदन 31.12.2025 तक किया जाएगा।

18.2 आवेदक अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निष्पादन वित्तीय वर्ष में की गई बिक्री के लिए वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन के संवितरण हेतु दावा प्रस्तुत करेगा।

18.3 पीएमए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसे दावे की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के संवितरण के दावे को क्रियान्वित करेगा और वस्त्र मंत्रालय को उचित सिफारिशें करेगा।

18.4 अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा दावों के अनुमोदन पर, प्रोत्साहन का संवितरण पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा केवल प्रतिभागी कंपनी के खाते में समायोजन के किसी अन्य तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।

18.5 गलती से अधिक दावों के संवितरण के मामले में, आवेदक को तत्काल स्वत: ही वस्त्र मंत्रालय को वापस करना होगा। यदि प्रतिभागी अतिरिक्त राशि वापस करने में असफल रहता है प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेवार होगा जिसकी गणना प्रोत्साहन के संवितरण की तारीख से और प्रतिभागी द्वारा वापसी की वास्तविक तारीख तक की जाएगी। भुगतान वस्त्र

मंत्रालय के शीर्ष खाते में किया जाएगा। बैंक खाते का विवरण पीएलआई पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा

18.6 कंपनी पीएलआई पोर्टल **http://PLI.texmin.gov.in** पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार आउटपुट-आउटकम विवरण प्रस्तुत करेगी।

19. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

इस योजना को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा जो सचिवालय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने तथा समय-समय पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

20. निवेश के सामान्य नियम और शर्तें

20.1 व्यय और निवेश:

(i) उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर व्यय को निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ii) चयनित आवेदक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण में निवेश के पूंजीकरण की तारीख को योजना के अंतर्गत निवेश की तारीख के रुप में माना जाएगा।

(iii) निवेश का शीर्ष, जिसके आधार पर पात्रता निर्धारित की जा रही है, को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित आवेदकों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण में पूंजीकृत किया जाना चाहिए।

(iv) न्यूनतम निवेश के अंतर्गत किसी भी पुराने/प्रयुक्त/नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, उपयोगिताओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20.2 **बीमा:** प्रतिभागियों को प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आदि के विरुद् सभी चल और अचल संपत्तियों का पर्याप्त बीमा कवर सुरक्षित करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वस्त्र मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

20.3 **गुणवत्ता मानकों के अनुरूप**: प्रतिभागियों द्वारा निर्मित सभी अधिसूचित उत्पाद समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी लागू नियामक मानदंडों, गुणवत्ता मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। यदि वस्त्र मंत्रालय आवश्यक समझे, तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और परीक्षण केंद्रों से गुणवत्ता रिपोर्ट मांग सकता है।

21. प्रमाणपत्र:

21.1 आवेदन और दावा प्रक्रिया के दौरान, पीएमए अन्य बातों के साथ-साथ योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों, चार्टर्ड इंजीनियरों, मूल्यांकनकर्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि से प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रमाणपत्रों पर विश्वास करेगा। ऐसे प्रमाण पत्रों की लागत जैसा कि निर्धारित है और आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी और प्रतिभागी द्वारा दावा प्रक्रिया का वहन किया जाएगा।

21.2 उपरोक्त के अलावा, किसी पेशेवर विशेषज्ञता के संबंध में किसी लागत/व्यय अथवा किसी चार्टर्ड इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सचिव, वकील अथवा किसी अन्य पेशेवर की लागत सहित, किंतु सीमित नहीं, किसी आवेदन के मूल्यांकन या सत्यापन के प्रयोजनार्थ दस्तावेज/प्रमाण पत्र/जानकारी प्राप्त करने अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) अथवा समकक्ष अथवा सीआईबीआईएल की रिपोर्ट और/अथवा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और/या समकक्ष और निरीक्षण/साइट विज़िट आदि की लागत को प्रतिभागी द्वारा वहन किया जाएगा। यदि ऐसी कोई लागत पीएमए द्वारा वहन की जाती है, तो लागू करों सहित प्रतिभागी द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति पीएमए को की जाएगी।

21.3 प्रतिभागी को निम्न के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर से निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:

i. संयंत्र और मशीनरी से संबंधित निवेश
ii. प्रौद्योगिकी करार के हस्तांतरण से संबंधित निवेश
iii. खरीद समझौतों के साथ प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), पेटेंट और कॉपीराइट की लागत
iv. संबद्ध उपयोगिताओं से संबंधित निवेश

21.4 प्रतिभागी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया (आईईआई) पंजीकृत चार्टर्ड इंजीनियर (सीई) से प्राप्त निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के उपयोग की पुष्टि करना जिसके लिए योजना के अंतर्गत आवेदक प्रोत्साहन का दावा कर रहा है

(ii) निर्माण सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण करने के बाद आवेदक द्वारा किया गया प्रतिबद्ध निवेश

21.5 चयनित आवेदकों को पीएलआई पोर्टल http://PLI.texmin.gov.in पर उपलब्ध कराए गए निर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्येक तिमाही के अंत से 30 दिनों के अंदर स्व-प्रमाणित तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन दावों पर तभी विचार किया जाएगा जब उस अवधि के लिए सभी क्यूआरआर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हों।

22. वचन पत्र:

आवेदक/प्रतिभागी अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित चयन और लाभ का दावा करने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

23. स्वामित्व में परिवर्तन:

23.1 प्रतिभागी कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अद्यतन करने के बाद, योजना अवधि के दौरान शेयर होल्डिंग में किसी भी बदलाव के बारे में पीएमए को सूचित करेगा और यदि कोई, उत्तराधिकारी-हित में परिणामी परिवर्तन हो, तो प्रोत्साहनों के वितरण पर विचार करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन हेतु पीएमए द्वारा सूचित किया जाएगा।

23.2 इच्छुक उत्तराधिकारी के बदलने के मामले में, प्रतिभागी द्वारा किए गए सभी निवेशों को इच्छुक उत्तराधिकारी की पात्रता निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा, जो वस्त्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य शर्त के अनुमोदन और अनुपालन के अधीन होगा, जैसा उपयुक्त माना जाए। बेंचमार्क निवेश को पूरा करने बाद निर्धारित वृद्धिशील कारोबार की उपलब्धि योजना के अंतर्गत उत्तराधिकारी कंपनी के लिए पात्रता निर्धारित करेगी।

24. जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र

24.1 **जोखिम प्रबंधन प्रणाली :**वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर, वस्त्र मंत्रालय प्रतिभागी कंपनियों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाएगा। प्रतिभागियों की कंप्यूटर जनित सूची के अनुसार टीमें आकस्मिक आधार पर निरीक्षण करेंगी।

24.2 **वसूली तंत्र और दंडात्मक प्रावधान:**

एक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा। पोस्ट ऑडिट तंत्र के तहत दस्तावेजों की जांच पर, यदि यह पाया जाता है कि अधिक दावा किया गया है और/या प्रतिभागी को अधिक भुगतान किया गया है, तो वस्त्र मंत्रालय वसूली के लिए प्रतिभागी से मांग करेगा। प्रतिभागी मांग सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30दिनों के भीतर इसे वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न करने पर संवितरण की तारीख से प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज लगाया जाएगा।

यदि बाद के चरण में यह स्थापित हो जाता है कि योजना के तहत दावा गलत घोषणा या फर्जी दस्तावेज जमा करके प्राप्त किया गया है, तो संयुक्त सचिव/व्यापार सलाहकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रतिभागी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ऐसे मामलों का फैसला करेंगे। ऐसे मामलों में प्रतिभागी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा और जुर्माने की राशि किए गए अधिक भुगतान से कम नहीं होगी और अतिरिक्त दावा मूल्य के 5गुना तक जा सकती है। ऐसे मामलों में देश के कानून के तहत उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

जुर्माना राशि भारत की संचित निधि खाते में जमा की जाएगी। यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे संबंधित जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा, जिनके अधिकार क्षेत्र में इकाई आती है।

25 **अपीलीय प्राधिकारी एवं विवाद निवारण:** संयुक्त सचिव/व्यापार सलाहकार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सचिव वस्त्र की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली अपीलीय समिति के समक्ष रखी जायेगी जिसमें अपर सचिव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सदस्य होंगे।

(विजय कुमार सिंह)
अपर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं.011-23010494
ईमेल:vk.singh90@ias.gov.in

नई दिल्ली
दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

Product List of MMF Apparels (Products will be primarily identified at 8 digits HS code)				
Sl No.	6 digit HS code	Product description	8 digit HS code	Product description
1	611030	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of man-made fibres, knitted ...	61103010	JERSEYS ETC OF SYN FIBRES
			61103020	JERSEYS ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
2	620193	Men's or boys' anoraks, windcheaters, wind jackets and similar articles, of man-made fibres ...	62019300	OTHER SMLR ARTCLS OF MAN-MDE FBRS
3	620293	Women's or girls' anoraks, windcheaters, wind jackets and similar articles, of man-made fibres ...	62029310	WIND AND SKI-JACKETS, WIND CHEATERS
4	620343	Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres (excluding ...	62034300	TROUSERS,BIB AND BRACE,OVERALLS,BREECHES AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRS,MENS OR BOYS
5	610463	Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres, ...	61046300	TROUSERS,BIB AND BRACE OVERALLS,BREECHES AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES
6	620463	Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres ...	62046300	TROUSERS,BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES
7	620213	Women's or girls' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of man-made ...	62021300	OVERCOATS,RAINCOATS,CARCOATS, CAPES,CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN MADE FIBRES

8	610443	Women's or girls' dresses of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding p etticoats)	61044300	DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES
9	611596	Full-length or knee-length stockings, socks and other hosiery, incl. footwear wit hout applied ...	61159600	OTHER HOSIERY GOODS OF SYNTHET IC FIBRES
10	620433	Women's or girls' jackets and blazers of synthetic fi bres (excluding knitted or crocheted, ...	62043300	JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES
11	610343	Men's or boys' trousers, bi b and brace overalls, bree ches and shorts of synthet ic fibres, knitted ...	61034300	TROUSERS,SHORTS ETC OF SYNTHETI C FIBRES
12	611241	Women's or girls' swimwe ar of synthetic fibres, knitt ed or crocheted	61124100	WOMENS/GIRLS SWIMWEAR OF SYN THTC FBRS
13	611430	Special garments for profe ssional, sporting or other purposes, n.e.s., of man-made fibres, ...	61143010	OTHER GARMENTS OF SYNTHETIC FI BRES
			61143020	OTHR GARMENTS OF ARTIFICIAL FIB RES
14	610822	Women's or girls' briefs a nd panties of man-made fi bres, knitted or crocheted	61082210	BRIEFS AND PANTIES OF SYN FIBRES
			61082220	BRIEFS AND PANTIES OF ARTIFICIAL F IBRES
15	620333	Men's or boys' jackets and blazers of synthetic fibres (excluding knitted or croc heted, and ...	62033300	JACKTS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES
16	621133	Men's or boys' tracksuits a nd other garments, n.e.s. of man-made fibres (exclu ding knitted ...	62113300	OTHR GRMNTS OF MAN-MDE FBRS F R MENS/BOYS

17	620113	Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of man-made ...	62011310	RAINCOATS OF MAN-MADE FIBRES
18	620453	Women's or girls' skirts and divided skirts of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted ...	62045300	SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRS
19	610230	Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	61023010	OVRCOAT ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61023020	OVRCOT ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
20	620530	Men's or boys' shirts of man-made fibres (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets ...	62053000	MENS OR BOYS SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES
21	610832	Women's or girls' nightdresses and pyjamas of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding ...	61083210	NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF SYN FIBRES
			61083220	NIGHTDRESSES AND PYAJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES
22	610620	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses of man-made fibres, knitted or crocheted ...	61062010	BLOUSE ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61062020	BLOUSE ETC OF REGNRTD FBRS(RAYON ETC)
23	610444	Women's or girls' dresses of artificial fibres, knitted or crocheted (excluding petticoats)	61044400	DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES
24	610433	Women's or girls' jackets and blazers of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding ...	61043300	JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES

25	621430	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles of synthetic fibres (excluding ...	62143000	SHWLS,SCRVS,MUFFLERS ETC OF SYNTHTC FBRS
26	610892	Women's or girls' négligés, bathrobes, dressing gowns, house jackets and similar articles of ...	61089210	NEGLIGES ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61089220	NEGLIGES, BATHROBES ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
27	611521	Pantyhose and tights of synthetic fibres, knitted or crocheted, measuring per single yarn <...	61152100	PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHTC FIBRES MSRNG PER SINGLE YRN LESS THN 67 DECITEX
28	610130	Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets ...	61013010	OVRCOAT ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61013020	OVRCOT ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
29	610712	Men's or boys' underpants and briefs of man-made fibres, knitted or crocheted	61071210	UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYN FIBRES
			61071220	UNDERPANTS AND BRIEFS OF ARTIFICIAL FIBRES
30	611693	Gloves, mittens and mitts, of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding impregnated, ...	61169300	OTHER GLOVES ETC OF SYNTHETIC FIBRES
31	610453	Women's or girls' skirts and divided skirts of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding ...	61045300	SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHTC FIBRES
32	621111	Men's or boys' swimwear (excluding knitted or crocheted)	62111100	SWIMWEAR FOR MENS OR BOYS

33	620312	Men's or boys' suits of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted, tracksuits, ski suits ...	62031200	SUITS OF SYNTHETIC FIBRES
34	611212	Track-suits of synthetic fibres, knitted or crocheted	61121200	TRACK SUITS OF SYNTHETIC FIBRES
35	620930	Babies' garments and clothing accessories of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted ...	62093000	BABIES GRMNTS AND CLOTHNG ACCESS OF SYN FIBR
36	620892	Women's or girls' singlets and other vests, briefs, panties, négligés, bathrobes, dressing ...	62089210	DRESSING GOWNS AND BATHROBES
37	611522	Pantyhose and tights of synthetic fibres, knitted or crocheted, measuring per single yarn >= ...	61152200	PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES MSRNG PER SINGLE YRN 67 DECITEX OR MORE
38	610722	Men's or boys' nightshirts and pyjamas of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding ...	61072210	NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF SYN FIBRES
			61072220	NIGHTSHIRTS AND PYAJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES
39	611231	Men's or boys' swimwear of synthetic fibres, knitted or crocheted	61123100	MENS/BOYS SWIMWEAR OF SYNTHTC FBRS
40	621112	Women's or girls' swimwear (excluding knitted or crocheted)	62111200	SWIMWEAR FOR WOMENS OR GIRLS

Product List of MMF Fabrics (Products will be primarily identified at 8 digit HS Code)				
Sl No.	6 digit HS code	Product Description	8 digit HS Code	Product description
1	540752	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured polyester filaments, incl. monofilament ...	54075210	POLYESTER SHIRTINGS
			54075220	POLYESTER SIUTINGS
2	600632	Dyed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 30 cm (excluding warp ...	60063200	OTHR KNITD OR CROCHETD FBRCS OF SYN FIBRS, DYED
3	540761	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of non-textured polyester filaments, incl. ...	54076110	POLYESTER SHIRTINGS
			54076120	POLYESTER SUITINGS
4	600192	Pile fabrics of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding "long pile" fabrics)	60019200	OTHER PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES
5	540754	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured polyester filaments, incl. monofilament ...	54075420	POLYESTER SHIRTING
6	580632	Narrow woven fabrics of man-made fibres, with a width of <= 30 cm, n.e.s.	58063200	OTHER NARROW WOVEN FBRCS OF MAN-MADE FIBRE
7	551511	Woven fabrics containing predominantly, but < 85% polyester staple fibres by weight, mixed ...	55151110	FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,UNBLCHD
			55151120	FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,BLCHD
			55151130	FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,DYED
			55151140	FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,PRINTD

8	600537	Dyed warp knit fabrics of synthetic fibres "incl. those made on galloon knitting machines", ...	60053700	OTHER, DYED
9	551614	Woven fabrics containing >= 85% artificial staple fibres by weight, printed	55161410	SPUN RAYON PRINTED SHANTUNG
			55161420	SPUN RAYON PRINTED LINEN
10	540742	Woven fabrics of filament yarn containing >= 85% nylon or other polyamides by weight, incl. ...	54074210	NYLON BRASSO
			54074220	NYLON GEORGETTE
			54074230	NYLON TAFETTA
11	551219	Woven fabrics containing >= 85% polyester staple fibres by weight, dyed, made of yarn of different ...	55121910	OTHR WOVN FBRCS, DYED CNTNG POLYETR >= 85%
			55121920	OTHR WOVN FBRCS,PRINTD CNTNG POLYETR> =85%
12	540710	Woven fabrics of high-tenacity yarn, nylon, other polyamides or polyesters, incl. monofilament ...	54071013	UNBLECHD NYLON FURNISHG FBRCS
			54071015	UNBLECHD OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071016	UNBLECHD POLYESTER SUITINGS
			54071019	UNBLECHD OTHR POLYESTER FABRICS
			54071023	BLECHD NYLON FURNISHN FBRCS
			54071025	BLECHD OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071026	BLECHD POLYESTER SUITNGS
			54071033	DYED NYLON FURNISHG FBRCS

			54071035	DYED OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071036	DYED POLYESTER SUITNGS
			54071043	PRINTED NYLON FURNISNG FBRCS
			54071045	PRINTED OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071046	PRINTED POLYESTER SUITNGS
			54071049	PRINTED OTHR POLYESTER FBRCS
			54071093	OTHR NYLON FURNISNS FBRCS
			54071096	OTHR POLYESTER SUITNGS
			54071099	OTHR POLYESTER FBRCS NES
13	540720	Woven fabrics of strip or the like, of synthetic filament, incl. monofilament of >= 67 decitex ...	54072010	UNBLECHD WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
			54072020	BLECHD WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
			54072030	DYED WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
			54072040	PRINTED WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
14	540769	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of mixtures of textured and non-textured ...	54076900	WOVN FBRCS CONTNNG 85% OR MORE BY WT OF OTHR THN NN-TXTRD POLYSTR FLMNTS

Product List of Technical Textiles Products with HSN code

In case of some products HSN Code is under development and, Product Description as indicated will be used for Application and Selection

S.No.	Segment	Name of the product	HSN Code	Description
1	Geotextiles	Geo-grids	To be notified	
		Geo-nets		
		Geo-membranes		
		Geo-tubes/Geo-bags		
		Geo-textiles made from natural fibres		
2	Agro- textiles	Shade-nets	To be notified	
		Mulch-mats		
		Anti-hail/Anti- bird/Anti-fog protection nets		
		Fishing nets		
		Crop covers		
		Turf protection nets		
3	Medical/ Hygiene Textiles	Body Diapers, Adult Diapers, Incontinence Diapers, Sanitary Napkins	96190010	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins
			96190020	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material : Tampons
			96190030	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material : Napkins and Napkin liners for babies
			96190040	Clinical Diapers
			96190090	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material : Other
		Surgical Dressings, Bandages, wound care products	59061000	Adhesive Tape Of A Width Not Exceeding 20 cm.
			30051010	Adhesive Gauze Bandage
			30051020	Adhesive Tape (Medicinal)

			30059010	Cotton Wool, Medicated
			30059030	Medicated Lint (Lint, medicated)
			30059040	Bandages Without Adhesive Layer
			30059050	Burn Therapy Dressing Soaked In Protective Gel
			56012200	Wadding; Other Articles Of Cotton Wadding: Other (Of man-made fibres)
		Compression stockings for varicose veins	61151000	Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted : Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)
		Surgical Sutures	30061010	Sterile, surgical catgut and similar sterile suture materials(including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical would closure
4	Defence Textile	Bullet Proof Jackets, Vests and Uniforms	62104010	Bullet proof jacket, bomb disposal jacket and the like
		Nuclear, Biological and Chemical Warfare Suits	To be notified	
		High visibility clothing and Infra-red clothing for military use		
		High Altitude clothing		
		Fighter Aircraft Clothing		
		Sub-marine clothing		
		Tents, Parachutes, collapsible textiles housing for military use.	54071041	Woven Fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404. 54071041 - Printed Parachute Fabrics 54071042 - Printed Tent Fabrics
			54071042	
			54071091	

			54071092	54071091 - Other Parachute Fabrics 54071092 - Other Tent Fabrics
		Special masks including Gas masks	90200000	Other Breathing Appliances And Gas Masks, Excluding Protective Masks Having Neither Mechanical Parts Nor Replaceable Filters
		Helmets and safety equipment (textile component) for military use	To be notified	
5	Mobile Textiles:	Safety airbags for automobiles	87089500	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 - other parts and accessories -- safety airbags with inflater system; parts thereof
		Automobile Tyre cords	56041000	Rubber Thread And Cord, Textile Covered
			56075020	Nylon Tyre Cord
			56075030	Viscose Tyre Cord
			59021010	Tyre Cord Fabric Of High Tenacity Yarn Of Nylon Or Other Polyamides: Impregnated With Rubber
			59021090	Tyre cord fabric Of nylon or other polyamides: Others
			59022010	Tyre Cord Fabric Of Polyester: Impregnated With Rubber
			59022090	Tyre cord fabric Of polyesters: Others
			59029010	Tyre Cord Fabric Of Others: Impregnated With Rubber
			59029090	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polysters or viscose rayon: Others
		Seat webbing for automobiles and aircrafts	87082100	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 : Other parts and accessories of bodies (including cabs) : Safety seat belts

		Air and oil filters for automobiles, railways coach, aircraft	84212300	Centrifuges, Including Centrifugal Dryers; Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus, For Liquids Or Gases Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus For Liquids: Oil Or Petrol-Filters For Internal Combustion Engines
6	Sports Textiles	Parachute fabrics/Ballooning fabric for sports use	54071011	Unbleached Parachute Fabrics
			54071021	Bleached Parachute Fabrics
			54071031	Dyed Parachute Fabrics
			54071041	Printed Parachute Fabrics
			54071091	Other Parachute Fabrics
		Sailing cloth	63061990	Other Tarpaulins, Awnings And Sunblinds; Tents; Sails For Boats, Sailboards Or Landcraft; Camping Goods
		Protective equipment for cricket, boxing and other sports (Leg guard, Batting gloves, Thigh pad)	95069110	Articles And Equipment For General Physical Exercise, Gymnastics Or Athletics: Boxing Equipment
			95069920	Articles And Equipment For General Physical Exercise, Gymnastics, Athletics, Other Sports: Other : Leg Pads And Bats For Cricket
			95069990	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table- tennis) or Out-door games, not specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling pools - other : -other : other
7	Protective Textiles (other than defence textiles):	Personal Protective Equipment for medical use	To be notified	
		Fire retardant/Fire protection clothing		
		Chemical/Petrochemical protection clothing		
		Electric Arc protection clothing		
		Fire retardant fabrics		

		Industrial gloves , Industrial protection clothing including high visibility clothing for non-military use		
		N-95 and N-99 Masks (FFP-2 and FFP-3 masks).	N-95 and N-99 masks (FFP-2 & FFP-3) masks To be notified.	
		Gas Masks	90200000	Apparatus: Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters.
8	Building/ Construction Textiles:	Architectural Membranes	To be notified	
		Wall coverings	59050090	Textile Wall Coverings: Other
			59050010	Textile Wall Coverings: Fixed On The Backing Of Any Material
		Awnings & canopy	63061200	Tarpaulins, Awnings and Sunblinds etc.: Of Synthetic Fibres
			63061920	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods tarpaulins, awnings and sunblinds :of other textile materials: blinds or awnings of coir
		Floor coverings for special purposes such as fire retardant, fire resistant, chemical resistant, anti –static and dust resistant/and composite board for train coaches.	To be notified	
9	Specialty Fibres & Composites	Carbon Fibre	To be notified	
		Aramids, Meta Aramids, Para-Aramids, Kevlar		
		Nylon 66		
		Glass Fibres, Basalt Fibres		
		Ultra High Molecular Weight Polyethylene		

		Composites made out of all above fibres (i) to (v)	
10	Smart Textiles embedded with active devices for medical, defence and special uses.		To be notified

परिशिष्ट-II

वस्त्र मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

नोट: कृपया दिशा-निर्देशों के खंड 8.3 का संदर्भ लें

स्वीकृति पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिभागी नामत: मेसर्स ………………. वस्त्र के लिए पीएलआई योजना में अधिसूचना संख्या 12015/03/2020/-आईटी दिनांक 24.09.2021 द्वारा अधिसूचित संलग्न सूची के अनुसार अधिसूचित उत्पाद(दों) का निर्माण करने हेतु भाग लेने के लिए पात्र है। योजना की अधिसूचना की तारीख से किए गए निवेश को न्यूनतम निवेश की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा। हालांकि, प्रोत्साहन के लिए पात्रता, योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार/वृद्धिशील कारोबार दोनों के संदर्भ में निष्पादन के आवश्यक स्तर को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो यह स्वीकृति रद्द की जा सकती है।

प्रतिभागी को संबंधित तिमाही (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च) के तत्काल अगले माह के अंत तक त्रैमासिक निवेश/प्रगति/उत्पादन रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप में वस्त्र मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करके अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। .

प्रतिभागी द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले अधिसूचित उत्पादों की सूची संलग्न है।

दिनांक:

स्थान:

नाम एवं पदनाम

कार्यालय की मुहर

प्रोत्साहनों की गणना के लिए ये कुछ मामले परिदृश्य हैं। ये केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

भाग 1 और भाग 2 दोनों पर लागू सिद्धांत (प्रोत्साहन की लागू दरों के साथ)

मामला परिदृश्य 1 : कारोबार की इकाई करोड़ रुपए में है

निष्पादन वर्ष	**योजना भाग-1**		**योजना भाग-2**	
	न्यूनतम/25% वृद्धिशील कारोबार	प्रोत्साहन = पात्र कारोबार* दर	निर्धारित न्यूनतम/25% वृद्धिशील कारोबार (करोड़ रुपए में)	प्रोत्साहन = पात्र कारोबार* दर
वर्ष 1	600	600*15%	200	200*11%
वर्ष 2	750	150*14%	250	50*10%
वर्ष 3	937.5	187.5*13%	312.5	62.5*9%
वर्ष 4	1171.875	234.4*12%	390.63	78.13*8 %
वर्ष 5	1464.84	292.97*11%	488.28	97.65*7 %

मामला परिदृश्य 2 : कारोबार की इकाई करोड़ रुपए में है

निष्पादन वर्ष	**योजना भाग-1 ₹350 करोड़ का निवेश**		**योजना भाग-2 ₹150 करोड़ का निवेश**	
	10% की सीमा के साथ निर्धारित कारोबार	प्रोत्साहन = स्वीकार्य कारोबार*दर	10% की सीमा के साथ स्वीकार्य कारोबार	प्रोत्साहन = स्वीकार्य कारोबार*दर
वर्ष 1	770	770*15%	330	330*11%
वर्ष 2	1039.50	269.50*14%	445.5	115.5*10%
वर्ष 3	1403.33	363.83*13%	601.42	155.93*9%
वर्ष 4	1894.49	491.16*12%	811.92	210.50*11%

वर्ष 5	2557.56	663.07*11%	1096.09	284.17*7%

मामला परिदृश्य 3 : कारोबार की इकाई करोड़ रुपए में है

₹300 करोड़ का निवेश			
निष्पादन वर्ष	न्यूनतम निर्धारित कारोबार	वास्तविक कारोबार (₹ करोड़)	स्वीकार्य प्रोत्साहन (₹ करोड़)
वर्ष 1	600.00	660 (600-660)	660*15%= 99
वर्ष 2	750.00	750 (825-891)	वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा क्योंकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार में 25% वृद्धि पूरी नहीं हुई है।
वर्ष 3	937.50	937.5 (937.5-1,012.5)	(937.5-750)*14%=26.25 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा क्योंकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार पर 25% का वृद्धिशील लक्ष्य और वर्ष के लिए निर्धारित कारोबार अर्थात 937.50 दोनों को पूरा किया गया है।
वर्ष 4	1171.88	800 (1171.88-1265.63)	वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं।
वर्ष 5	1464.84	1200 (1000-1080)	वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि वर्ष के लिए न्यूनतम निर्धारित कारोबार पूरा नहीं किया गया है।

मामला परिदृश्य 4 : कारोबार की इकाई करोड़ रुपए में है

₹400 करोड़ का निवेश			
निष्पादन वर्ष	न्यूनतम निर्धारित	वास्तविक कारोबार	स्वीकार्य प्रोत्साहन (₹ करोड़)

	कारोबार	(₹ करोड़)	
वर्ष 1	600.00	700 (600-880)	700*15%= 105
वर्ष 2	750.00	891 (875-945)	(891-700)*14%= 26.74
वर्ष 3	937.50	1202.85 (1113.75-1202.85)	(1202.85-891) * 13% = 40.54
वर्ष 4	1171.88	1700 (1503.56-1623.85)	(1623.85-1202.85)*12%= 50.52
वर्ष 5	1464.84	2300 (2125-2295)	(2295-1700)*11%= 65.45

मामला परिदृश्य 5 : कारोबार की इकाई करोड़ रुपए में है

₹500 करोड़ का निवेश			
निष्पादन वर्ष	न्यूनतम निर्धारित कारोबार	वास्तविक कारोबार (₹ करोड़)	स्वीकार्य प्रोत्साहन (₹ करोड़)
वर्ष 1	600.00	900 (600-1100)	900*15%= 135
वर्ष 2	750.00	800 (1125-1215)	वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा क्योंकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के कारोबार पर 25% का वृद्धिशील लक्ष्य अर्थात 1125 पूरा नहीं हुआ है।
वर्ष 3	937.50	1050 (1000-1080)	(1050-800)*14%=35 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा क्योंकि दोनों लक्ष्य पूरे हो गए हैं।
वर्ष 4	1171.88	1100 (1312.5-1417.50)	दोनों लक्ष्य पूरे नहीं होने के कारण कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।
वर्ष 5	1464.84	1500 (1375-1485)	(1485-1100)*13%=50.05 प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा क्योंकि दोनों लक्ष्य पूरे हो गए हैं और 35% की सीमा लागू है।